झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ॰सं॰–08 / ज॰सं॰(नि॰)न॰वि॰–19–01 / 2020:–   राँची दिनांकः–

संकल्प

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री सुरेन्द्र सिंह (ID-J7517) ने जबकि वे कार्यपालक पदाधिकारी, साहेबगंज नगर परिषद के पद पर पदस्थापित थे, घोर अनियमितता, कदाचार, अनुशासनहीनता बरती है, जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेखित है।

अतएव झारखण्ड राज्यपाल ने यह संकल्प किया है कि उक्त श्री सिंह के विरूद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2016 के नियम–16 एवं 17 के अन्तर्गत विहित रीति से कार्यवाही की जाय।

2. श्री सुरेन्द्र सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान श्री रमेश कुमार दूबे, (सेवानिवृत भा॰प्र॰से॰) विभागीय जाँच पदाधिकारी के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें, जिन्हें इसके द्वारा इस कार्यवाही के संचालन के लिए जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग करने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी, साहेबगंज नगर परिषद को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति अनुबंध के साथ श्री रमेश कुमार दूबे, (सेवानिवृत भा॰प्र॰से॰) विभागीय जाँच पदाधिकारी, टी॰ए॰ डिवीजन बिल्डिंग, धुर्वा राँची / श्री सुरेन्द्र सिंह, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, साहेबगंज नगर परिषद (सम्प्रति निलंबित मु॰–मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची) / कार्यपालक पदाधिकारी, साहेबगंज नगर परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
ह0 / –
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

कृ॰पृ॰उ॰

D:\D.Ku All Sec 2021\Sec 08\Adesh\U 8 Surendra (Sankalp) 16.12.21.docx

ज्ञापांकः–../राँची दिनांकः–..

प्रतिलिपिः–अनुबंध, श्री सिंह का स्पष्टीकरण तथा स्पष्टीकरण के सापेक्ष उपायुक्त साहेबगंज का मंतव्य की प्रति के साथ श्री रमेश कुमार दूबे, (सेवानिवृत भा॰प्र॰से॰) विभागीय जाँच पदाधिकारी, टी॰ए॰ डिविजन बिल्डिंग, धुर्वा राँची/ कार्यपालक पदाधिकारी, साहेबगंज नगर परिषद/ श्री सुरेन्द्र सिंह, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, साहेबगंज नगर परिषद (सम्प्रति निलंबित मु॰–मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जाँच पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस कार्यवाही का निष्पादन अधिक से अधिक दो माह के अन्दर सम्पन्न कर अपना जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करेगें साथ ही साथ कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते रहगें एवं कार्यवाही अभिलेख की एक प्रति भी भेजा जाय।

3. प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कृपया जाँच पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उनका निदेश प्राप्त करें।

4. आरोपित पदाधिकारी यदि इस संबंध में कोई अभिलेख/कागजात देखना चाहते है तो अद्योहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर देख लें और हर स्थिति में अपना लिखित बयान निर्धारित अवधि के अन्दर कर दें अन्यथा विलम्ब की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी।

अनु॰:–यथोक्त।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–.........6353../राँची दिनांकः–.....17/12/21..........................

प्रतिलिपिः– श्री मनोहर मराण्डी सरकार के संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड/उप सचिव (प्र॰), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/21

सरकार के संयुक्त सचिव।

17.12.2021